(1/2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
54/2024	30/04/2024	01/04/2025

1. नाथूलाल पुत्र भागीरथ जाति बलाई निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील आंधी, जिला जयपुर, राजस्थान।

वादी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र भागीरथ जाति बलाई निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आंधी, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक आंधी, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री पुष्पेन्द्र शर्मा :– वकील वादी।

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री पुष्पेन्द्र शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 1.6700है0 स्थित ग्राम दौलतपुरा, पटवार हल्का धर्मपुरा, तहसील आंधी, जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस–नरस के अनुसार कब्जे तथा मौके को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 07.11.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार आंधी ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार करने हेतु सहमति दी।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम दौलतपुरा, पटवार हल्का धर्मपुरा, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

ाता ख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
;8	किशनलाल पुत्र भागीरथ हि0 1/2 जाति बलाई सा0देह, नाथूलाल पुत्र भागीरथ हि0 1/2 जाति बलाई सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/2 पूर्ण खाता राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक झर।	88	1.6700	चाही 3	26.72
	योग	किता 1	1.6700	—	26.72

—: प्रस्तावित :—

कम संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	नाथूलाल पुत्र भागीरथ हि0 पूर्ण जाति बलाई सा0देह खातेदार राहिन हि0 पूर्ण आरएमजीबी शाखा झर	88/1	0.8350	चाही 3	—
	योग	किता 1	0.8350	—	—
2	किशनलाल पुत्र भागीरथ हि0 पूर्ण जाति बलाई सा0देह खातेदार	88/2	0.8350	चाही 3	—
	योग	किता 1	0.8350	—	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण कों हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 01/04/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18–21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

नाथूलाल बनाम किशनलाल वगै0

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर – 54/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री सत्यपाल गुर्जर अधिवक्ता वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम दौलतपुरा, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
68	किशनलाल पुत्र भागीरथ हि0 1/2 जाति बलाई सा0देह, नाथूलाल पुत्र भागीरथ हि0 1/2 जाति बलाई सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/2 पूर्ण खाता राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक झर।	88	1.6700	चाही 3	26.72
	योग	किता 1	1.6700	–	26.72

–: प्रस्तावित :–

कम संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	नाथूलाल पुत्र भागीरथ हि0 पूर्ण जाति बलाई सा0देह खातेदार राहिन हि0 पूर्ण आरएमजीबी शाखा झर	88/1	0.8350	चाही 3	–
	योग	किता 1	0.8350	–	–
2	किशनलाल पुत्र भागीरथ हि0 पूर्ण जाति बलाई सा0देह खातेदार	88/2	0.8350	चाही 3	–
	योग	किता 1	0.8350	–	–

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिकी आज दिनांक 01/04/2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा	रुपये	पैसे	स्टाम्प अर्जी दावा मुदालयह	रुपये	पैसे
मुदई			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वजूह सबुत		
स्टाम्प वजूह सबुत			महन्तानावकील		
महन्तानावकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			बबतृहजराय हुक्मनामा		
बबतृहजराय हुक्मनामा			मुत0		
मुत0			मिलान		
मिलान					

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

डिक्री मुकदमा इबलाई (रूल्स 18–21)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0

बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नं0:– 54 / 2024 — दायर दिनांक 30.04.2024

नाथूलाल — बनाम — किशनलाल वगै0

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

प्राथमिक डिक्री आदेश — दिनांक 07.11.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री पुष्पेन्द्र शर्मा वकील वादीगण निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम दौलतपुरा, पटवार हल्का धर्मपुरा, तहसील आंधी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 1.6700है0 के संबंध में उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से एवं कब्जे को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अर्थात सरस–नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में अलग–अलग रंग भरकर कुर्रेजात के प्रस्ताव तीन–तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

डिक्री आज दिनांक 07 / 11 / 2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा	रूपये	पैसे
मुदई		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत		
मिलान		

स्टाम्प अर्जी दावा	रूपये	पैसे
मुदई		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत		
मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर